

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/ख.ले. / अलेसे-III/12042-50

दिनांक:- 10¹¹/15

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेशों द्वारा निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है :-

क्र.सं.	आदेश संख्या	दिनांक	लिंक नम्बर	कार्मिक का नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय/विभाग	स्थानान्तरित कार्यालय/विभाग
1.	50/2015-16	30.06.2015	5453	श्री संजय कुमार शर्मा	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) विभाग, जिला परिषद, भरतपुर	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, भरतपुर
2.	52/2015-16	30.06.2015	6108	श्री यशवन्त सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सीकर	अधिशायी अभियन्ता खण्ड, जल संसाधन विभाग, सीकर

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित कनिष्ठ लेखाकारों को संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपयोग किये तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 17.11.2015 तक फ़ैक्स अथवा ई-मेल द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जावेगी।

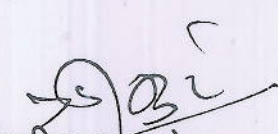

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/ख.ले. / अलेसे-III/12042-50

दिनांक:- 10¹¹/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कार्यालय आदेश को प्रेषित कर लेख है कि स्थानान्तरित कार्मिक को नवपदस्थापित कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें अन्यथा स्थिति में नवम्बर, 2015 माह के वेतन भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
2. संबंधित कोषाधिकारी..... को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त कार्मिकों का माह नवम्बर, 2015 का वेतन का बिल नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण तक पारित नहीं करें।
3. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. अति. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फ़ैक्स अथवा विभागीय ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें अन्यथा आदेशों की अवहेलना के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जावेगी।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)